न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–444/2018

प्रार्थी:–

1. पारसमल पुत्र सुरजमल जाति जैन निवासी बालवाडा तहसील जालोर जिला जालोर
2. नरपतराज पुत्र सुरजमल जाति जैन निवासी बालवाडा तहसील जालोर जिला जालोर
3. अशोकराज पुत्र सुरजमल जाति जैन निवासी बालवाडा तहसील जालोर जिला जालोर
4. स्व.उगमराज पुत्र सुरजमल जाति जैन के कायम मुकाम

4/1 कमेलश पुत्र उमगराज जाति जैन

4/2 चेतना पुत्र उमगराज जाति जैन

4/3 भावना पत्नी उगमराज जाति जैन

4/4 भावेश पुत्र उमगराज जाति जैन

5. खीमराज पुत्र सुरजमल जाति जैन निवासी बालवाडा तहसील जालोर जिला जालोर
6. दिनश पुत्र सुरजमल जाति जैन निवासी बालवाडा तहसील जालोर जिला जालोर
7. मेथी देवी पत्नी सुरजमल जाति जैन निवासी बालवाडा तहसील जालोर जिला जालोर

बनाम

विप्राथी:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 13.08.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी खेत सरहद मौजा दरबला पटवार मण्डल काठाडी के खेत खसरा संख्या 173 रकबा 02.8733 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है तथा इसी अनुसारर प्रार्थीगण बराबर–बरारबर हिस्से पर मौके पर काबिज काश्तकार है। हल्का पटवारी ने सहवन से एक लिपिक त्रृटि से अशोकराज का नाम अशोक कुमार लिख दिया जबकि अशोकराज लिखना था । प्रार्थी के सभी सरकारी व अर्द्व सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम अशोकराज दर्ज है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में अशोककुमार दर्ज होने से सरकारी सेवाओं व ऋण इत्यादि में भारी परेशानी जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थी को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये

उपखण्ड अधिकारी

का नाम राजकीय दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम अशोककुमार के स्थान र अशोकराज दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड व मतदाता परिचय पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम अशोकराज पुत्र सुरजमल दर्ज हैं । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा दरबला पटवार मण्डल काठाडी के खेत खसरा संख्या 173 रकबा 02.8733 हैक्टयर हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम "अशोक कुमार पुत्र सुरजमल " के स्थान पर "अशोकराज पुत्र सुरजमल" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 13.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:41:08 IST
Reason: SelfAttested